2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

28

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(रीवा सर्किट कोर्ट रीवा)

II/निग0/सिंगरौली/2018/0609

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

1– मुस सुकवरिया पति मोतीलाल पठारी
2– हीरासाय पठारी पिता मोतीलाल पठारी
3– राजमन पठारी पिता मोतीलाल पठारी
4– हीरावती पिता मोतीलाल पठारी
5– इन्द्रकुमारी पिता मोतीलाल पठारी
6– बेलाकली पिता भारत पठारी
7– फूलकली पिता भारत पठारी
सभी निवासी ग्राम भरसेडी तह0 देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0

----------आवेदकगण

बनाम्

1– लाला पठारी शिवक्स पठारी, निवासी ग्राम भरसेडी तह0 देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0
2– सोनिया पिता भोदू पठारी, सा0 भरसेडी तह0 देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0
3– म0प्र0 शासन

----------अनावेदकगण

अधि0 श्री अवंनी कुमार सोनी द्वारा पेश/23.01.18

निगरानी विरूद्ध आदेश व निर्णय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा प्र0क0 0239/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 13.11.2017

अंतर्गतधारा 50 (म0प्र0) भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर

प्रकरण के तथ्य :–

यह कि अनावेदक कमांक 01 द्वारा एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी देवसर चितंरगी के न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 113 के अंतर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भरसेडी की भूमि किता 17 रकवा 5.46हे0 आवेदकगण के पिता मोतीलाल पठारी व अनावेदक कमांक 01 के संयुक्त खाते की भूमि है जिसके अभिलेख के भूमि स्वामी कालम में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/सिंगरोली/भू.रा./2018/609

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-4-18	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक को सुना जा चुका है। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 239/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–11–2017 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी देवसर/ चितरंगी के प्रकरण कमांक 2/स–129/98–99 एंव प्रकरण कमांक अ/स–129/98–99 में पारित आदेश दिनांक 28–9–99 के लगभग 17 वर्ष वाद आवेदकगण ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, जो अत्याधिक विलम्ब के आधार पर निरस्त की गई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 में बताया गया है कि अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकारों से बंचित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–5 में बताया गया है कि विलम्ब क्षमा किये जाने की मांग धारा–5 के आवेदन में की गई। विलम्ब क्षमा किये जाने के समुचित कारण दर्शाए जाने में विफलता पाई गई। आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही स्थिति अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 239/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–11–2017 से परिलक्षित है जिसके कारण अपर आयुक्त व्दारा लगभग 17 वर्ष का विलम्ब क्षमा नहीं करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधार–हीन होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	